MAA SEWA SANSTHAN

MAA MUNGI BY PASS ROAD, GOTHRA
KHETRI NAGAR DIST-JHUNJHUNU
RAJASTHAN
HELP LINE – 09414982777
Email- maa_seva_rajasthan@yahoo.in

ANNUAL PROGRESS REPORT
2020-2021
1 APRIL, 2020 TO 31 MARCH, 2021

मां सेवा संस्थान

मां मूगी बाईपास रोड़ वार्ड नं. 10, गोठड़ा, खेतड़ी नगर, जिला – झुंझुनूं

मां सेवा संस्थान गोठड़ा, खेतड़ी नगर, झुंझुनूं, राजस्थान स्वयं सेवी संस्थान है। जिसका कार्यक्षेत्र का विस्तार सम्पूर्ण भारत में है। जिसका गठन वर्ष 2004 में किया गया है। जिसे राजस्थान संस्था राजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 28, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार संस्थाएं झुंझुनूं से पंजीकृत करवाया गया। इस संस्थान के गठन का उद्देश्य वंचित वर्गों का आर्थिक, सामाजिक, मानसिक सशक्तिकरण करते हुए उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा, प्रशिक्षण देकर पुनर्वास कर समाज की मुख्य धारा में लाना है।

मां सेवा संस्थान का गठन सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के तहत 20 दिसम्बर, 2004–05 को करवाया गया एवं वर्ष 2005 में भारतीय आयकर अधिनियम 12ए एवं 80जी के तहत पंजीकृत करवाया गया। संस्थान को वर्ष 2010 में निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग से सेवा प्रदाता में पंजीकरण करवाया गया। संस्थान को वर्ष 2010 से निशक्तजन व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 1995 की धारा 52(2) के अंतर्गत पंजीकृत करवाया गया जो समय समय पर नवीनीकरण होता है।

संस्थान वर्ष 01 नवम्बर, 2012 से निदेशालय विशेष योग्यजन की प्रशासनिक स्वीकृति आदेश से जिला स्तरीय मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह आदर्श नगर, झुंझुनूं में संचालित किया जा रहा है।

इस संस्थान के अंतर्गत कार्यरत सभी स्वयं सेवक अपने अथक प्रयासों से बिना किसी स्वार्थ के सामाजिक कल्याण के लिए कार्यरत हैं।

यह संस्थान निम्न मुख्य उद्देश्य पर काम कर रही है:–

- पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, बाल विकास, खेलकूद, ग्रामीण तकनीक विकास कार्यों का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना।
- संकटग्रस्त, लावारिस, उपेक्षित, परित्यक्त, बालश्रम व भिक्षावृति में लिप्त बालक–बालिकाओं एवं व्यक्तियों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण।
- अज्ञात परित्यक्त मानसिक विमंदित शिशु बालक–बालिकाओं, व्यक्तियों के पुनर्वास गृह बनाना।
- संकट ग्रस्त अज्ञात बेसहारा शिशु, बालक बालिकाओं, व्यक्तियों, वृद्धजनों के आज्ञय गृह बनाना।
- समाज की निर्धन तबके की विवाह योग्य लड़कियों व परित्यक्त लावारिस, बेसहारा महिलाओं एवं व्यक्तियों का सामुहिक विवाह एवं पुनर्वास करना।
- जरूरतमंद बालक–बालिकाओं महिलाओं, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्ष एवं इसके लिए जगरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
- आपातकालिन बीमारियों, महामारी के प्रति जागरूकता शिविर आयोजित करना।
- अज्ञात लावारिस, मानसिक विकृत मनोरोगियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम शिविर आयोजन।
- प्राकृतिक आयुर्वेदिक, एलोपैथक, ध्यानयोग, जिम इत्यादि चिकित्सा पद्धतियों के शिविर लगाना।
- वर्षाजल संरक्षण के शिविर आयोजित करना।

जिला स्तरीय मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह, आदर्श नगर, झुंझुनूं

मां सेवा संस्थान गोठड़ा खेतड़ी नगर एवं निदेशालय विशेष योग्यजन राजस्थान सरकार द्वारा 01 नवम्बर 2012 को वार्ड नं–11, मां मूंगी कॉलोनी, आदर्श नगर, ग्राम पंचायत प्रतापपुरा, जिला झुंझुनूं पिन – 333023 पर संचालित है। जिसका उद्देश्य बेसहारा, अज्ञात, लावारिस, परित्यक्त मानसिक विमंदित व्यक्तियों की सेवाएं प्रदान कर उनका पुर्नवास किया जाता है।

जिसमें जिला झुंझुनूं के पुलिस थानों, उपखण्ड अधिकारी, मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारियों के आदेशों के द्वारा प्रवेश दिया जाता है। प्रवेश के समय व्यक्ति दयनीय स्थिति में होता है जिसे अपना नाम, पता व स्थान कुछ भी नहीं पता होता या जन्म से ही नहीं पता होता है।

आवासियों के लिए विशेष शिक्षक, केयर टेकर, आया, रसोईया, मनोचिकित्सक, नैदानिक मनोवैज्ञानिक, फिजिशियन, नर्सिंगर्मी, चौकीदार आदि स्टाफ उपस्थित रहता है। आवासियों को रहने की समस्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इन मानसिक विमंदितो को प्रवेश के समय इनको गंभीर बीमारियां होती हैं। जैसे– नशे की लत होना, जिनका विशेषज्ञों से ईलाज करवाया जाता है। इसके अलावा इनकी दैनिक कियाएं नियमित निर्धारित समय के अनुसार करवाई जाती हैं। जिसमें आवासी महिला, पुरूष, बच्चों को दैनिक कियाओं में टूथ ब्रुश करवाना, स्नान करवाना, कपड़े धोने के साथ व्यायाम करवाए जाते हैं एवं इनके निर्धारित समय पर इनको नास्ता, भोजन, दवाइयां इत्यादि प्रदान किया जाता है। इनका फाईल रिकोर्ड तैयार किया जाता है जिसमें इनकी हिस्ट्री होती है तो दूसरी फाईल में इनके ईलाज का ब्यौरा दिव्यांग कैटेगरी, बीमारियों का विवरण होता है। महिला एवं पुरूषों की रहने की अलग–अलग व्यवस्थाएं होती हैं। जिसमें इनके अलग–अलग कमरे, बैड, कपड़े इत्यादि व्यवस्था निशुल्क होती है। आवासियों के लिए संस्थान के पास स्वंय का एम्बुलेंस वाहन है जो प्रतिदिन 24 घण्टे इनकी सेवा में रहता है। अज्ञात व्यक्ति की सूचना मिलने पर एम्बुलेंस वाहन से जिले में कहीं भी स्टाफ द्वारा बिना देरी किए उसे लाया जाता है। संस्थान में दैनिक कार्यों के साथ प्रातः योग, प्रार्थना, खेल–कूद, बागवानी आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। खेल–कूद में इनके मानसिक व शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए फुटबॉल, कैरम बोर्ड, वॉलीबॉल इत्यादि खेलों का अभ्यास करवाया जाता है। संध्या के समय पेड़–पौधों में पानी देना, सिंचाई करना इत्यादि कार्य सिखाए जाते हैं। रात्रि भोजन से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए जाते हैं एवं रात्रि भोजन के बाद आवश्यकतानुसार दवाईयां दी जाकर आवासियों को शयन करवा दिया जाता है। रात्रि में भी इनकी देखभाल के लिए केयर टेकर, आया, नर्सिंग कर्मी, चौकिदार आदि की व्यवस्था होती है। आवासीय गृह में हरियाली युक्त खुला कैम्पस, स्वच्छ वातावरण, शुद्ध जल इत्यादि प्रदान किया जाता है। जिस कारण आवासियों के स्वास्थ्य में सुधार आने लगता है। प्रवेश के बाद आवासियों के जैसे – जैसे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आता है संस्थान द्वारा आवासियों के द्वारा बताए गए पते पर पत्र व्यवहार व दूरभाष अथवा अन्य माध्यमों से सम्पर्क किया जाकर आवासियों के परिवार की आईडी से उसका पुनर्वास राजकीय अधिकारियों को सूचना देकर किए जाने का प्रयास किया जाता है।

वर्ष 2020–21 में 48 मानसिक विमंदितों को सेवाएं प्रदान की गई। 03 अज्ञात लावारिस व्यक्तियों को प्रवेश दिया गया एवं वर्ष 2019 में प्रवेशित 02 आवासियों श्रीनिवास व रमेश को लोकडाउन के दौरान पुनर्वास दिया गया।

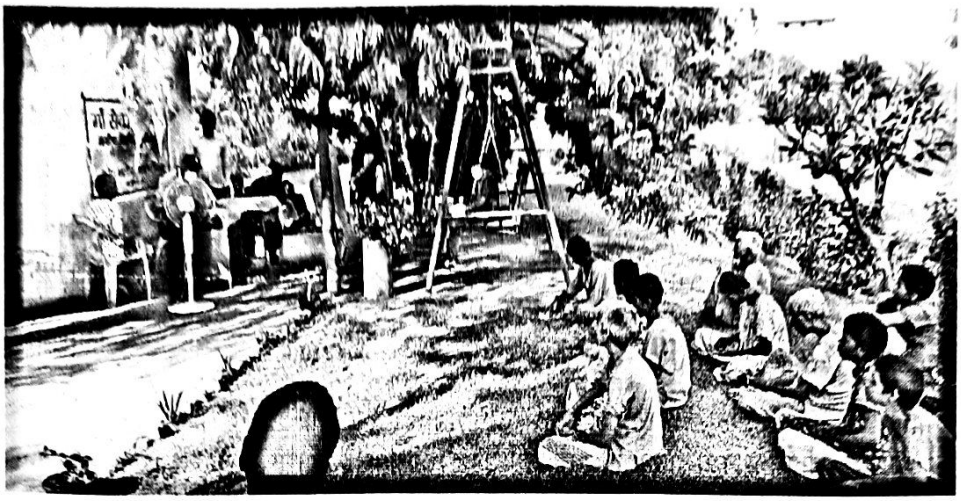

मनोचिकित्सक द्वारा सामुहिक जांच

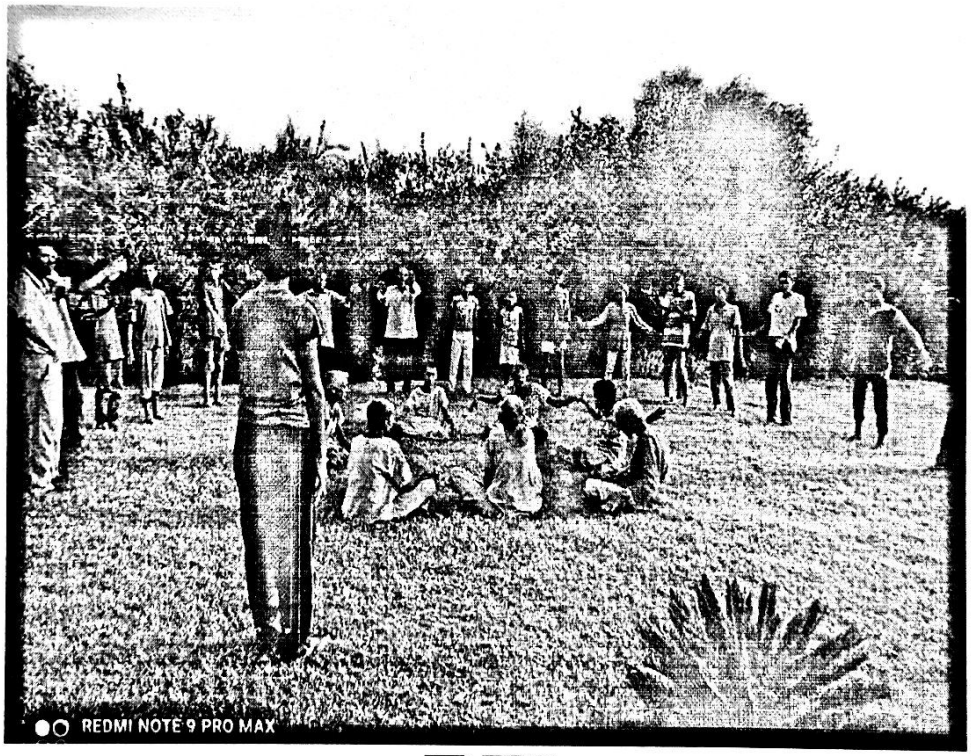

प्रातः व्यायाम

दोपहर का भोजन

आश्रय स्थल में दोपहर के समय में आवासी आराम करते हुए

वोकेशनल प्रशिक्षण करवाते हुए

वोकेशनल प्रशिक्षण करवाते हुए

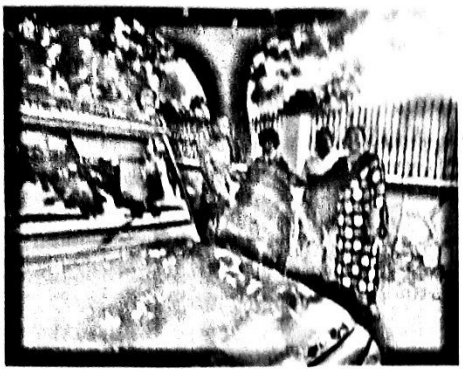

मानसिक विमंदित को रेस्क्यू करते हुए

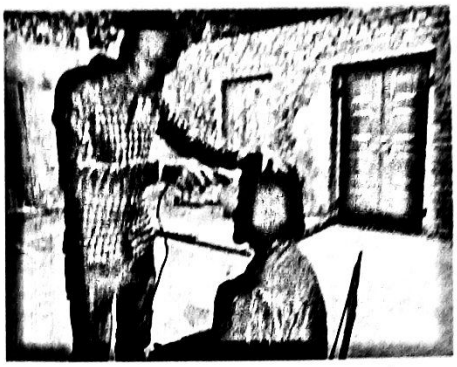

मानसिक विमंदित की बाल काटते हुए

प्रवेश के समय

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण कार्यक्रम

मां सेवा संस्थान निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार से सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए पंजिकृत एवं मान्यता प्राप्त है। संस्थान ने 08 मार्च, 2007 को जिला झुंझुनूं राजस्थान में सर्वप्रथम बेटी बचाओ हस्ताक्षर अभियान की शुरूआत की थी। जिले के स्कूलों, कॉलेजो, प्रशिक्षण केन्द्रों, ग्राम पंचायतों इत्यादि स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन कर एक लाख लोगों के प्रतिज्ञा हस्ताक्षर करवाए गए थे। जिससे लोगों की सोच में बेटियों के प्रति बदलाव आया। उन्होंने बेटी जन्मोत्सव मनाना, शादी में बेटियों की घोड़ी पर बैठाकर बिंदोरी निकालना, उनका सम्मान करना इत्यादि बदलावों के अलावा शिक्षा से वंचित बेटियां पुनः शिक्षा से जुड़ी। 01 अप्रैल, 2020–21 में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम की हजारों प्रतियां महिलाओं को प्रदान की गई। इन कार्यक्रमों के माध्यम से उनको उनके अधिकार, कर्तव्य एवं कानूनी सलाह, सहयोग इत्यादि की जानकारियां प्राप्त हुई। इस वर्ष में महिलाओं को भावनात्मक समर्थन के साथ–साथ उनको विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई।

मानसिक विमंदित परिवारों को सहयोग

22 मार्च, 2020 को कोरोना जैसी महामारी के कारण सम्पूर्ण भारत देश में लोकडाउन हुआ। जरूरतमंद मानसिक विमंदित परिवारों के सामने खुद के अलावा परिवार में रह रहे मानसिक विमंदित व्यक्तियों की देखभाल की समस्याएं आने लगी। लोगों ने फोन कर जानकारी दी कि हमारे बच्चे जन्मजात मानसिक विमंदित हैं। आर्थिक संकट की इस घड़ी में इनके खान पान व निवास की व्यवस्था करने के लिए हम आपके संस्थान में प्रवेश दिलाना चाह रहे हैं। संस्थान के पास 50 बैड तक आवासित रखने की व्यवस्थाएं थी जिसके कारण अधिक व्यक्तियों को रखने की परेशानी आ रही थी। संस्थान की कमेटी द्वारा विचार –विमर्श कर निर्णय लिया कि इन जरूरतमंद परिवारों को मास्ककैप, सेनेटाईजर, आटा, तेल, मसाले, दालें, सब्जियां इत्यादि इनके निवास स्थान पर ही उपलब्ध करवाया जावे। संस्थान के एंबुलेंस वाहन से जरूरत के राशन व अन्य सामग्री इन तक पहुंचाने के लिए संस्था की व्यवस्थापक श्रीमती सरला देवी को यह जिम्मेदारी दी गई। जिसमें जरूरतमंदों को संस्था द्वारा तैयार किट वितरित किए गए। इस दौरान 101 परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध करवाई गई। जिससे सैंकड़ों परिवारों को संकट की घड़ी में सहयोग प्राप्त हुआ।

असहाय सड़क किनारे रह रहे मानसिक विमंदित दिव्यांगों को सहयोग

कोरोना महामारी के दौरान संस्थान को कई अज्ञात लोगों की सूचनाएं जिला प्रशासन से प्राप्त हुई। कोरोना महामारी में सार्वजनिक स्थलों व रोड़ पर बैठे हुए मानसिक विमंदित व्यक्तियों जिनसे हर व्यक्ति दूरी रखने लगा तथा उसी दौरान रेस्टोरेंट, होटल, रैन बसेरे इत्यादि बंद हो चुके थे जिससे उनके सामने दैनिक खान–पान की समस्याएं आ गई थी इसे व्यक्तियों के लिए भोजन, वस्त्र एवं दवाइयां, संस्थान के मनोचिकित्सक, नर्सिंग कर्मीयों ने एम्बुलेंस वाहन के माध्यम से इनको यथा स्थान पर ही सुविधाएं प्रदान किए जाने का संस्थान ने निर्णय किया। प्रशासन व्यस्थ होने व सड़के सुनसान थी, मनुष्य के दर्शन दुर्लभ हो रहे थे। यदि महामारी के इस संकट में इनको भोजन, वस्त्र एवं दवाइयां नहीं मिलती तो जीवन संकट की समस्याएं पैदा हो जाती। संस्थान के इस कार्यक्रम से जिले में संस्थान की सराहना हुई एवं प्रशासन ने इस सेवा को देखते हुए संस्थान के सेवा प्रतिनिधि को निदेशालय विशेष योग्यजन राजस्थान सरकार ने राज्य स्तर पर दिनांक 03 दिसम्बर, 2020 को सम्मानित भी किया। जिससे लोगों को आसहाय, लावारिस व्यक्तियों का इस संकट की घड़ी में सहयोग करने की प्रेरणा मिली।

नशा मुक्ति अभियान

संस्थान वर्षों से नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रमों आयोजित करता रहा है। संस्थान ने महसूस किया कि जिले में कई महिलाएं, परिवार अपने ही परिवार में नशे से ग्रस्त लोगों से पीड़ित हैं। संस्थान कमेटी ने निर्णय लिया कि नशा करने वाले व्यक्तियों को मानसिक रोग विशेषज्ञ से परामर्श एवं चिकित्सा करवाई जाए एवं उनको नशे से होने वाली बीमारियां एवं नुकसान के बारे में बताया जाए। संस्था द्वारा एम्बुलेंस वाहन द्वारा मनोचिकित्सा एवं नर्सिंगकर्मी स्टाफ के साथ जिले की प्रत्येक तहसील में कैम्प आयोजित किए। जिससे लोगों ने नशे को "ना" एवं जीवन को "हां" कहा एवं इसके बारे में पूर्णरूप से जानकारी प्रदान की। संकड़ों लोगों ने प्रतिज्ञा कर नशे को छोड़ा।

महिला एवं बच्चों के पूनर्वास कार्य

संस्थान ने महसूस किया कि जिले में कई परिवारों की महिलाएं आर्थिक संकट के कारण पीड़ित हैं। आर्थिक संकट के कारण उनके बच्चों को संपूर्ण सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। संस्थान ने निर्णय किया कि जरूरतमंद महिलाओं को स्वरोजगार, सिलाई ट्रेनिंग एवं मार्केटिंग के द्वारा उनको स्वरोजगार से जोड़ा जाए एवं भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की जाए। संस्थान द्वारा 20 महिलाओं का चयन किया एवं उनको सिलाई प्रशिक्षण बाद मार्केटिंग करवाई गई एवं स्वरोजगार कार्यों से जोड़कर अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा देकर जोड़ा गया। संस्थान के कार्यक्रम से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा एवं वे परिवार आत्मनिर्भर बने हैं।

वर्षा जल भंण्डारण एवं वृक्षारोपण अभियान

पहले से वर्षा कम होने लगी है एवं पेड़ों को लोग ईंधन के लिए काट रहे हैं। वृक्षों की संख्या कम हो गई है जिससे प्राण वायु प्रदुषित होने लगी है एवं हमारे स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव होने लगा है। जिससे मनुष्य व्यथित है। वर्षा जल के बिना वन्य जीव भूख प्यास से मर रहे हैं। संस्थान द्वारा लोगों को प्रेरणा देने के लिए वर्षाजल भंण्डारण एवं वक्षारोपण कार्यकम आयोजित करने का निर्णय लिया एवं प्रेरणा के तौर पर एक निश्चित जगह उदपुरवाटी की जमावली घाटी की पहाड़ियों में तय की गई जहां वर्षाजल भण्डार हो सके एवं जल से वन्य जीवों की प्यास मिट सके। कुण्ड के लिए चारों ओर दीवारे निकलवाकर वर्षाजल भण्डारण किया गया। उक्त स्थान पर पचास पेड़ भी लगाए गए। इसके बाद में लोगों को दिखाया गया कि आज वहां पर एक गार्डन जैसे प्रतीत हो रहा है। संस्था द्वारा किए गए निर्माण से दस हजार लीटर वर्षाजल का भण्डारण हुआ है। इससे वन्य जीव एक वर्ष तक अपनी प्यास मिटा सकते हैं। उक्त कार्य पूर्ण होने पर लोगों ने जाना कि वास्तव में मनुष्य चाहे तो वर्षा के जल का भण्डारण करके वन्य जीव एवं पेड़ पौधे ही नहीं मनुष्य स्वयं के लिए भी हजारों लीटर वर्षा के जल का भण्डार कर सकता है।